

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

58 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020

03.07.2020

01.10.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी वार्ड नं09 चौधरियो का मोहल्ला उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शुभम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक
- 2- मैसर्स शुभम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक
- 3-श्रीमति नीता गुप्ता पुत्री श्री मदनलाल गुप्ता निवासी 937 / 37,12 कोठी नगरा अजमेर प्रोपरायटर मैसर्स एन.जी एन्टरप्राइजेज 12 कोठी बालापुра रोड नगरा अजमेर
- 4- मैसर्स एन.जी एन्टरप्राइजेज 12 कोठी बालापुरा रोड नगरा अजमेर

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 01.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.10.2019 को समय 3.15 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स शुभम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। प्रोपराइटर की हैसियत से श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी वार्ड नं09 चौधरियो का मोहल्ला उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शुभम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की रैक मे रसगुल्ला (जैन ब्राण्ड) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री अनिल कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस

1357

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अनिल कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैंक में 1-1 किलोग्राम पैक के लगभग 40 पैकेट पैकड अवस्था में रसगुल्ला (जैन ब्राण्ड) रखे हुये में से 1-1 किलोग्राम के चार पैकेट नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री अनिल कुमार जैन को ₹0 520/- अक्षरे पाँच सौ बीस रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुद्ध रसगुल्ला (जैन ब्राण्ड) 4 पैकेट प्रत्येक 1-1 किलोग्राम पैक को ज्यो का त्यो एक-एक पैकेट के बराबर-बराबर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2350 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2350 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता अनिल कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्य करते समय श्री अनिल कुमार जैन ने मौके पर रसगुल्ला (जैन ब्राण्ड) बतोर वारंटी बिल मैसर्स एन.जी एन्टरप्राइजेज 12 कोठी बालापुरा रोड नगरा अजमेर का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 267 दिनांक 15.10.2019 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2522 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2510/एक्ट/2019/2041 दिनांक 11.11.2019 अनुसार अनिल कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रसगुल्ला (जैन ब्राण्ड) अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।



अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का रसगुल्ला (जैन ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस रसगुल्ला (जैन ब्राण्ड) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया रसगुल्ला (जैन ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी वार्ड नं09 चौधरियो का मोहल्ला उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शुभम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्रीमति नीता गुप्ता पुत्री श्री मदनलाल गुप्ता निवासी 937/37,12 कोठी नगरा अजमेर प्रोपरायटर मैसर्स एन.जी एन्टरप्राइजेज 12 कोठी बालापुरा रोड नगरा अजमेर पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



01-10-2021
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निगमन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0